

"प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)



AC-54 ओरेवला विधान सभा (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) निर्वाचन क्षेत्र से
दिल्ली विधान सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं, वेद प्रकाश ** पुत्र/पुत्री/पत्नी याद राम आयु 46 वर्ष, जो 72/14 मेहला गौडल्ला
मदनपुर खादर, नयी दिल्ली (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:—

(1) मैं अवामी पार्टी (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/

** एक स्वतन्त्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(** जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम AC-54 ओरेवला, विधान सभा (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं 140 के क्रम सं 1957 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 9911494925 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) NIL है।

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति:

क्रम सं०	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुप में)
1.	स्वयं	NIL	2011-12 तक लागू कर है।	
2.	पति या पत्नी	NIL		
3.	आश्रित - 1	NIL		
4.	आश्रित - 2	NIL		
5.	आश्रित - 3	NIL		

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिमाक्षा एम्मे क्रिया अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी:—

- (i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण व्योरे	NIL
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	NIL
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	NIL
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	NIL
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	NIL
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी मक्षम-अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा गेकी गई है है	NIL

- (ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न:

(क)	न्यायालय का नाम मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	NIL
(ख)	उन मामलों के व्योरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	NIL
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों) आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के व्योरे	NIL

- (6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :